रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, शनिवार, 7 जनवरी, 1989/17 पौष, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

सामान्य प्रशासन विभाग

ख-अनुभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 2 नवम्बर, 1988

संख्या 3-40/73-जी० ए० बी०-खण्ड:-2 —इस विभाग की अधिसूचना समसंख्यक दिनांक 18-6-1983 का प्रसंग जारी रखते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, जिला मण्डी में चच्योट तहसील के मुख्यालय को चच्योट से गोहर में स्थानान्तरित करने के सहर्ष आदेश देते हैं।

यह आदेश तत्काल लागू होंगे।

आदेश द्वारा,
भगत चन्द्र नेगी,
मुख्य सचिव।

2987-राजपत्र/88—7-1-89—1,251.

मूल्य : 20 पैसे।

भाषा एवं संस्कृति विभाग

शुद्धि-पत्र

शिमला-171002, 18 नवम्बर, 1988

संख्या भाषा-क (3)-1/81-II —इस विभाग द्वारा जारी की गई समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 4 अक्तूबर, 1988 के अन्तर्गत क्रम संख्या 3 में शब्द "मृगुला, जैन मन्दिर गांव ममेल, तहसील करसोग, जिला मण्डी" के स्थान पर शब्द "मृकुला जैन मन्दिर, उदयपुर, जिला लाहौल-स्पिति" हिमाचल प्रदेश पढ़े जायें।

अधिसूचना

शिमला-171002, 20 दिसम्बर, 1988

संख्या भाषा-ई (3)-1/87.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश हिन्दु सार्वजनिक धार्मिक संस्था एवं पूर्त विन्यास अधिनियम, 1984 की धारा 3 (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, बाबा बालक नाथ कालेज चकमोह (हमीरपुर) के कार्यकारी प्राचार्य के कार्यकलापों और घोर अनाचरण की जांच हेतु श्री संजीव गुप्ता, आई० ए० एस०, उप-मण्डलीय दण्डाधिकारी, बड़सर, को जांच अधिकारी तुरन्त नियुक्त करते हैं।

आदेश द्वारा,
महाराज कृष्ण काव,
वित्तायुक्त एवं सचिव।

श्रम विभाग

अधिसूचना

शिमला-171002, 22 दिसम्बर, 1988

संख्या 4-13/83-श्रम II.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लकड़ी पर आधारित और फर्नीचर उद्योग" में अनुसूचित नियोजन की बाबत, अकुशल श्रमिकों क लिए मजदूरी की न्यूनतम दरें, नियत की जाएं;

और इस नियोजन में मजदूरी की न्यूनतम दरें नियतन के प्रस्ताव पर राज्य न्यूनतम मजदूरी सलाहकार बोर्ड द्वारा विचार किया गया था;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 की धारा 5 की उप-धारा 1 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए, "लकड़ी पर आधारित और फर्नीचर उद्योग", क नियोजन में अकुशल श्रमिकों आदि के लिए मजदरी की न्यूनतम दरों के नियतन के प्रस्ताव को निम्नलिखित रूप में प्रकाशित करते हैं:—

क्रम संख्या	श्रमिक प्रवर्ग	नियत न्यूनतम मजदूरी
1.	अकुशल श्रमिक	15 रुपए दैनिक 450 रुपए मासिक

टिप्पणी:— (1) उक्त दरों में मजदूरी की न्यूनतम दरें सम्मिलित हैं।
(2) पुरुषों तथा महिलाओं के लिए न्यूनतम मजदूरी में कोई प्रभेद नहीं होगा।

प्रस्ताव, उन व्यक्तियों की जानकारी के लिए जिनकी इस से प्रभारित होने की संभावना है प्रकाशित किया जाता है और प्रस्ताव पर राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में अधिसूचना के प्रकाशित किए जाने की तारीख से दो मास की अवधि के पश्चात विचार किया जाएगा।

उक्त प्रस्ताव पर कोई आक्षेप/सुझाव पूर्वोक्त अवधि की समाप्ति से पूर्व श्रम आयुक्त, हिमाचल प्रदेश शिमला, 171002, को भेजे जा सकेंगे।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित/-
आयुक्त एवं सचिव।

[*Authoritative English text of Himachal Pradesh Government Notification No.* 4-13/83-*Shram.-II, dated* 23-12-88. *as required under Act No.* 348 (3) *of the Constitution of India*].

LABOUR DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 22nd December, 1988

No. 4-13/83-Shram-II.—Whereas the Governor, Himachal Pradesh, is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of the Scheduled employment in Wood based and Furniture Industries may be fixed in respect of unskilled labourers etc.,

And whereas the proposal for the fixation of minimum rates of wages in this employment was considered by the Minimum Wages State Advisory Board.

Now, therefore, in exercise of the powers vested in him under sub-section 1 (*b*) of Section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to publish the proposal for the fixation of minimum rates of wages in respect of unskilled labourers etc. in the employment of "Wood based and Furniture Industries" as under :—

Sl. No.	*Category of workers*	*Minimum wages fixed,*
1.	Unskilled workers.	Rs. 15/- per day Rs.450/- per month.

Note :

(1) The above rates are inclusive of minimum rates of wages.

(2) There will be no distinction between the Minimum Wages for male or female.

The proposal is published for the information of persons likely to be affected thereby and will be taken into consideration after the expiry of two months from the date of publication of this notification in the Himachal Pradesh Rajpatra. Any objection/suggestion on the above proposal may be sent to the Labour Commissioner, Himachal Pradesh, Shimla-171002, before the expiry of the above period.

By order,
Sd/-
Commissioner-cum-*Secretary*.

राजस्व विभाग

(स्टाम्प रजिस्ट्रेशन)

अधिसूचना

शिमला–171002, 20 दिसम्बर, 1988

सं017-2/65-रैव0-I.—हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश में यथा लागू भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 (1899 का 2) की धारा 9 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उन लोगों को जिनके मकान सितम्बर, 1988 की भारी वर्षा और बाढ़ से गिरे या बह गए हैं, को उनकी मुरम्मत अथवा नव-निर्माण हेतू हिमाचल प्रदेश आवास बोर्ड, किसी भी व्यवसायिक बैंक से ऋण लेने के लिए निष्पादित किसी भी उपकरण की बाबत निम्नलिखित स्कीमों क तहत उक्त अधिनियम के अधीन प्रभार्य स्टाम्प शुल्क का तत्काल परिहार करते हैं :—

(*i*) HUDCO ASSISTED HOUSING LOAN SCHEME.
(*ii*) BANK ASSISTED HOUSING LOAN SCHEME

आदेश द्वारा,
अत्तर सिंह,
सचिव ।

[*Authoritative English Text of the Notification No.* 17-2/65-*Rev-I dated* 20-12-88 *as required under Article* 348 *of the Constitution of India*].

REVENUE DEPARTMENT
(STAMP-REGISTRATION)

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th December, 1988

No. 17-2/65-Rev-I .—In exercise of the powers conferred upon him by sub-section (1) of Section 9 of the Indian Stamp Act, 1899 (II of 1899) as in force in the State of Himachal Pradesh. The Governor, Himachal Pradesh is pleased to remit the stamp duty chargeable on any instrument executed by the persons whose house have been damaged/destroyed in the recent excessive rains and floods during September, 1988, in favour of Himachal Pradesh Housing Board/ any commercial bank for the loans granted to them for the construcgion/repair of the houses under the following schemes :—

(*i*) HUDCO ASSISTED HOUSING LOAN SCHEME;
(*ii*) BANK ASSISTED HOUSING LOAN SCHEME.

By order,
ATTAR SINGH,
Secretary.

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी

कार्यालय आदेश

मण्डी, 7 दिसम्बर, 1988

विषय:—हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियम, 1971 के नियम 77 के अधीन कारण बताओ नोटिस।

संख्या एम0 ए0 एन0 डी0-डैव-एम0सी0-1(86)/87.—यतः उप-मण्डलअधिकारी, (ना) सुन्दरनगर की प्रारम्भिक जांच से यह आभास होता है कि श्री नीम चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत सौझा, विकास खण्ड सुन्दरनगर ने सरकारी भूमि पर अनियमित रूप से कब्जा करके भवन का निर्माण किया है जब कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 9 (5) के अधीन ऐसा व्यक्ति पंचायत में पदाधिकारी नहीं रह सकता ;

और यह भी उक्त श्री नीम चन्द प्रधान ने अपने निकट सम्बन्धी के हित को ध्यान में रखते हुए सिंचाई तालाब मालन की मुरम्मत हेतु रु0 8, 750.00 खण्ड विकास सुन्दरनगर से स्वीकृत करा कर अपने पद का दुरुपयोग किया है ;

और यह कि उक्त श्री नीम चन्द प्रधान ने अपने पंचायत क्षेत्र में अपात्र व्यक्तियों को आई0 आर0 डी0 पी0 के अन्तर्गत स्वीकृत उपदान (सबसीडी) दिलाया है जबकि पात्र व्यक्तियों जैसे श्रीमती द्वारकू विधवा श्री धनिया, निवासी कारगल, मठकू सुपुत्र श्री जाहरू, श्री टैहला दास सुपुत्र तुलसू, श्री गिमटू सुपुत्र बिरटू, श्री दिलू सुपुत्र नरोत्तम आदि को कोई सहायता आदि आई0 आर0 डी0 पी0 के अन्तर्गत नहीं मिली है।

अतः उपरोक्त से स्पष्ट है कि श्री नीम चन्द प्रधान अनाचार के दोषी हैं।

अतः मैं, डा0 ए0 आर0 बसू, उपायुक्त, मण्डी, मण्डल मण्डी हिमाचल प्रदेश उन अधिकारों के अन्तर्गत जो मुझ में हिमाचल प्रदेश ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम 77 में निहित हैं श्री नीम चन्द प्रधान, ग्राम पंचायत सौझा, विकास खण्ड सुन्दर नगर को आदेश देता हूं कि वह कारण बताए कि क्यों न उपरोक्त आरोपों के आधार पर उन्हें हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (1) के अधीन प्रधान पद से निलम्बित किया जाये। उन का उत्तर इस नोटिस के जारी होने के दिनांक से 15 दिन के भीतर-भीतर प्राप्त हो जाना चाहिए अन्यथा आगामी कार्यवाही प्रारम्भ करदी जाएगी।

डा0 ए0 आर0 बसू,
उपायुक्त,
मण्डी मण्डल, मण्डी।

पंचायती राज विभाग

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 4 नवम्बर, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एच0 ए0 (5) 21/76-II.—क्योंकि माननीय उच्च न्यायालय हिमाचल प्रदेश ने श्री अनन्त राम नेगी द्वारा प्रधान ग्राम पंचायत महासू, विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला के खिलाफ प्रस्तुत याचिका संख्या 597/87 का 12-7-88 को इन आदेशों के साथ निपटारा कर दिया कि सचिव (पंचायती राज) हिमाचल प्रदेश सरकार, न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत सारे रिकार्ड के दृष्टिगत इस सारे मामले की दोबारा छानबीन करें और इस बारे में स्पष्ट निर्णय लें कि आया हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत प्रधान ग्राम पंचायत महासू के विरुद्ध किसी तरह की कार्यवाही की जरूरत है ;

और क्योंकि उपरोक्त अंकित न्यायालयों के आदेशों की अनुपालना में सचिव (पंचायती राज), हिमाचल प्रदेश सरकार ने 3-11-88 को दोनों पक्षों की अपनी-अपनी बात तथा अन्य उन अधिकारियों की बात सुनने के पश्चात जो इस मामले से सम्बन्धित है, यह पाया कि इस मामले में प्रधान ग्राम पंचायत महासू द्वारा किसी तरह की धनराशि का गबन व दुरुपयोग तो नहीं किन्तु विभिन्न विकास कार्यों के कार्यान्वयन हेतु अग्रिम धनराशि देने में अपनाई गई अनियमित प्रक्रिया तथा पंचायत के प्रलेखों व लेखों के गलत सन्धारण के लिए अवश्य वे जिम्मेदार हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री राजेन्द्र सिंह प्रधान ग्राम पंचायत महासू विकास खण्ड जुब्बल-कोटखाई, जिला शिमला को भविष्य में जहां ठीक स ग्राम पंचायत के प्रलेखों लेखों के सन्धारण हेतु तथा धनराशि के खर्च करने में वित्तीय नियमों के मुताबिक ठीक प्रक्रिया अपनाने के लिए सतर्क रहनें का अदेश देते हैं वहां साथ साथ यह भी आदेश देते हैं कि 4/85 से 1/88 तक की अवधि के अकेक्षण पत्र पर इन आदेशों के जारी होनें की तिथि से एक महीनें के अन्दर-अन्दर उसमें अंकित आपत्तियों की अनुपालना की जाये और इस अनुपालना पर विकास खण्ड अधिकारी जुब्बल-कोटखाई तथा जिला पंचायत अधिकारी, शिमला द्वारा अगले एक मास की अवधि में अन्तिम कार्यवाही भी पूरी कर ली जाए

हस्ताक्षरित/-
संयुक्त सचिव ।

शिमला-171002, 7 नवम्बर, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एच0 ए0 (5) 9/88.—क्योंकि दुर्गा सिंह प्रधान ग्राम पंचायत कोठीधार, विकास खण्ड नारकण्डा, जिला शिमला की अध्यक्षता में श्री पदमा राम, ग्राम वासी डकोलू, डाकघर कोठीधार, तहसील कुमारसैन, जिला शिमला को पंचायत क्षेत्र से बाहर करने का जो प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 3-12-87 पारित हुआ है, वह एक ऐसा प्रस्ताव है जो ग्राम पंचायत के क्षेत्राधिकार का नहीं;

और क्योंकि उक्त श्री दुर्गा सिंह का यह एक ऐसा कृत्य है जो प्रधान पद की गरिमा को कलंकित करता है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अंतर्गत उक्त श्री दुर्गा सिंह को यह कारण बताओ नोटिस जारी करते हैं कि क्यों न उक्त कृत्य के लिए उन्हें ग्राम पंचायत कोठीधार के प्रधान पद से निष्कासित किया जाये ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

अधिसूचना

शिमला-171002, 19 नवम्बर, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एच0बी (6)-6/77-I.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज विभाग में श्री लालमन गुप्ता, जिला पंचायत अधिकारी, ऊना को उप-निदेशक पंचायती राज, हिमाचल प्रदेश (राजपत्रित श्रेणी-I) के पद पर 1200-50-1400/60-1700-75-1850 के वेतनमान में छः मास तक या इससे पहले जब भी नियमित नियुक्ति हो जाए बिल्कुल अस्थाई रूप से तदर्थ पदोन्नत करने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

यह प्रबन्ध बिल्कुल अस्थाई है तथा इसके फलस्वरूप किसी तरह का लाभ वरिष्ठता तथा अन्य सेवा मामलों में नहीं मिलेगा ।

आदेश द्वारा,
एस0 एम0 कंवर,
सचिव

कार्यालय आदेश

शिमला-171002, 29 नवम्बर, 1988

संख्या पी0 सी0 एच0-एच0-ए0(5) 26/77.—क्योंकि श्री हरनाम सिंह प्रधान ग्राम पंचायत, करगानू के विरुद्ध विकास खण्ड अधिकारी, पच्छाद द्वारा प्रारम्भिक जांच करने के फलस्वरूप निम्न तथ्य सामने आये हैं।

कि श्री हरनाम सिंह ने धर्मासन का सभापतित्व करते हुए श्रीमती देवकू पत्नी श्री नरपत बनाम श्री केशव राम पुत्र श्री नराता राम के दिवानी दावे में श्री केशव राम के विरुद्ध 20 रुपये हरजाना के लगाये हैं परन्तु यह आदेश मौखिक होने के कारण सम्बन्धित मिसल में फैसला/आदेश आज तक अनुलिखित है जिस कारण पंचायत सचिव फैसले की नकल देने में असमर्थ थे।

कि उन्होंने श्री राम स्वरूप के पुत्र श्री जयदत्त जिसका जन्म पंचायत से सम्बन्धित रजिस्टर में दर्ज नहीं था, से स्टैम्प पेपर पर हल्फिया ब्यान लेकर उसे स्वय प्रभावित करके श्री लक्ष्मी सिंह सचिव को अपने प्रभाव (Influence) में लेकर प्रमाण-पत्र जारी करवाया जबकि पंचायत सचिव ने प्रधान को यह स्पष्टतय: समझा दिया था कि न तो प्रधान ब्यान हल्फीया प्रमाणित करने के सक्षम हैं तथा न ही वर्ष 1978 में हुए जन्म को दर्ज करने व प्रमाण-पत्र जारी करने हेतु पंचायत सक्षम है। परन्तु फिर भी प्रधान ने अपने पद का दुरुपयोग किया।

कि उन्होंने श्री सोमदत्त, ग्राम बटोल की लड़की कुमारी संगीता जिसका जन्म पंचायत रजिस्टर में दर्ज नहीं था, का प्रमाण-पत्र प्रधान द्वारा बिना रिकार्ड के आधार पर जारी किया।

कि उन्होंने दो मोहरें (एक अपने घर सनोरा तथा दूसरी गिरीपुल में) रखी हैं जबकि यह पंचायत कार्यालय में रखी जानी चाहिए। मई, 1988 से अगस्त, 1988 तक उनका पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रहना तथा लोगों के लिए प्रधान की मोहर का अनुपलब्धता पंचायत की कार्य कुशलता में बाधक सिद्ध होती रही। इसके साथ-साथ प्रधान का पंचायत की बैठकों से निरन्तर गैर हाजिर रहना हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) की स्पष्ट उलंघना है।

कि उन्होंने सभा क्षेत्र में खोले गये पशु फाटक को बन्द करवा दिया जबकि पंचायत सचिव का कथन है कि ग्राम पंचायत के सदस्य व अन्य लोग पंचायत प्रधान द्वारा पशु फाटक बन्द करने के इस कृत्य के हक में नहीं थे। इस प्रकार उन्होंने जनहितार्थ के विपरीत कार्य किये हैं। इस प्रकार श्री हरनाम सिंह निजी स्वार्थी की पूर्ति हेतु नियमों की उलंघना करने के दोषी पाये गये हैं।

अत: हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जिसे ग्राम पंचायत नियमावली 1971 के नियम 77 के साथ पढ़ा जाता है। श्री हरनाम सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत करगानू को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्यों के लिए उन्हें उनके पद से निलम्बित किया जाये। उनका उत्तर इस नोटिस की जारी तिथि के एक माह के भीतर जिलाधीश, सिरमौर के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-171002, 30 नवम्बर, 1988

संख्या पी0सी0एच0-ए0एच0 ए0 564/86.—क्योंकि श्री ध्यान सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासां, विकास खण्ड भोरंज लगभग 6 माह से लगातार पंचायत बैठकों में उपस्थित नहीं हो रहे हैं। जैसा कि ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासा के प्रस्ताव संख्या 2 दिनांक 12-7-88 तथा पंचायत निरीक्षक विकास खण्ड भोरंज की इस प्रस्ताव पर की गई पुष्टि से स्पष्ट है;

और क्योंकि श्री ध्यान सिंह का यह कृत्य हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत एक ऐसा कृत्य है जिस पर उसे ग्राम पंचायत के उप-प्रधान पद से निष्कासित किया जा सकता है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) (ग) के अन्तर्गत श्री ध्यान सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत टिक्करी मिन्हासा को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उन के पद से निष्कासित किया जाए उनका उत्तर इस नोटिस क जारी होने क [illegible] गाह के भीतर-भीतर जिलाधीश, हमीरपुर के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-171002, 30 नवम्बर, 1988

संख्या पी0सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 136/76.—क्योंकि श्री बलदेव राज प्रधान ग्राम पंचायत पन्डोह, विकास खण्ड मण्डी सदर, जिला मण्डी के खिलाफ सर्वश्री लवण कुमार व लंगण कुमार ठाकुर सुपुत्र श्री नरपत राय, निवासी मुख्य बाजार पण्डोह को कम आय गृह निर्माण (4 G-H) योजना के अन्तर्गत निर्माण के झुठे प्रमाण-पत्र के आधार पर 5,500/- रुपये की प्रथम किश्त की अदायगी कराने का आरोप है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलाधीश, मण्डी को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी रिपोर्ट जिलाधीश, मण्डी के मार्फत शीघ्र इस कार्यालय को प्रस्तुत करें।

शिमला-171002, 2 दिसम्बर, 1988

संख्या पी0सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 16/88.—क्योंकि ग्राम पंचायत मलथेहड़ के प्रस्ताव संख्या-2 दिनांक 18-1-88 द्वारा यह बात सामने आई है कि श्री तुलसी राम, पंच नियमानुसार पंचायत बैठकों में भाग नहीं ले रहे जिस पर उपायुक्त, मण्डी ने उन्हें कारण स्पष्ट करने को कहा था परन्तु उनका उत्तर असन्तोषजनक पाया गया है;

क्योंकि श्री तुलसी राम, पंच का यह कृत्य उन्हें उनके पद पर बनें रहने का अधिकार नहीं देता।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत श्री तुलसी राम, पंच को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनक पद से निष्कासित किया जाय। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर जिलाधीश, मण्डी के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

शिमला-171002, 2 दिसम्बर, 1988

संख्या पी0सी0 एच0-एच0 ए0 (5) 16/88.—क्योंकि ग्राम पंचायत मलथेहड़ के प्रस्ताव संख्या 2, दिनांक 18-1-86 द्वारा यह बात सामने आई है कि श्री ठाकुर दास, पंच नियमानुसार पंचायत बैठकों में भाग नहीं ले रहे जिस पर उपायुक्त, मण्डी ने उन्हें कारण स्पष्ट करने को कहा था। परन्तु उनका उत्तर असन्तोषजनक पाया गया;

क्योंकि श्री ठाकुर दास, पंच का यह कृत्य उनके पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देता।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत श्री ठाकुर दास को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाये। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर जिलाधीश मण्डी के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

शिमला-171002, 2 दिसम्बर, 1988

संख्या पी0सी0एच-एच0ए0 (5).—क्योंकि श्री मोही राम, प्रधान, ग्राम पंचायत कोटी बीचू, तहसील शिलाई 4/85 से 4/86 तक की अवधि के अंकेक्षण पत्र के अनुसार ग्राम पंचायत की 528/- रुपये की धनराशि के गबन में संलिप्त है;

और क्योंकि उक्त श्री मोही राम को जिलाधीश, सिरमौर ने अपने आदेश सं0 पी0 एस0-5 आडिट/77-1387-1392, दिनांक 26 सितम्बर, 1988 द्वारा प्रधान पद से निलम्बित कर दिया है क्योंकि श्री मोही राम ने इस बारे में अपना कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया।

उपरोक्त तथ्यों की वास्तविकता जानने के लिए जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज, अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत उप-मण्लाधिकारी (नं0) शिलाई को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं वह अपनी जांच रिपोर्ट जिलाधीश, सिरमौर के माध्यम से शीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

शिमला-171002, 2 दिसम्बर, 1988

संख्या पी0सी0एच-एच0ए0 (5) 16/88.—क्योंकि ग्राम पंचायत मलथेहड के प्रस्ताव संख्या 2, दिनांक 18-1-86 द्वारा यह बात सामने आई है कि श्री रूप लाल पंच नियमानुसार पंचायत बैठकों में भाग नहीं ले रहे जिस पर उपायुक्त मण्डी ने उन्हें कारण स्पष्ट करने को कहा था परन्तु उनका उत्तर असन्तोषजनक पाया गया;

क्योंकि श्री रूप लाल का यह कृत्य उन्हें उनके पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देता। अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54(2) के अन्तर्गत श्री रूप लाल, पंच को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनके पद से निष्कासित किया जाये। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर जिलाधीश, मण्डी के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

शिमला-171002, 2 दिसम्बर, 1988

संख्या पी0सी0एच-एच0ए0 (5) 16/88.—क्योंकि ग्राम पंचायत मलथेहड के प्रस्ताव संख्या 2, दिनांक 18-1-86 द्वारा यह बात सामने आई है कि श्री नेत्र सिंह उप-प्रधान नियमानुसार पंचायत बैठकों में भाग नहीं ले रहे जिस पर उपायुक्त, मण्डी ने उन्हें कारण स्पष्ट करने को कहा था परन्तु उनका उत्तर असन्तोषजनक पाया गया है;

क्योंकि श्री नेत्र सिंह, उप प्रधान का यह कृत्य उन्हें उनके पद पर बने रहने का अधिकार नहीं देता।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 (2) के अन्तर्गत श्री नेत्र सिंह, उप-प्रधान को निष्कासनार्थ कारण बताओ नोटिस देते हैं कि क्यों न उपरोक्त कृत्य के लिए उन्हें उनक पद से निष्कासित किया जाये। उनका उत्तर इस नोटिस की प्राप्ति के एक माह के भीतर जिलाधीश, मण्डी के माध्यम से पहुंच जाना चाहिए अन्यथा एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

शिमला-171002, 19 दिसम्बर, 1988

संख्या पी0सी0एच-एच0 ए0 (5) 63/80.—क्योंकि श्री राम स्वरूप, प्रधान, ग्राम पंचायत आनी, जिला कुल्लू सरकारी भूमि खसरा नं0 885 से सफेदे के वृक्ष को अनाधिकृत रूप से कटवाने के मामले में सलिप्त हैं ;

और क्योंकि उपरोक्त तथ्य की वास्तविकता जानने के लिए जांच का कराया जाना आवश्यक है।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत अतिरिक्त जिलाधीश, कुल्लू को जांच अधिकारी नियुक्त करने का सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी जांच रिपोर्ट शीघ्र इस कार्यालय को भेजनें की कृपा करेंगे।

शिमला–171002, 19 दिसम्बर, 1988

संख्या पी0सी0एच0-एच0ए (5) 88/88.—क्योंकि ग्राम पंचायत सिहल ने अपने प्रस्ताव संख्या 13, दिनांक 2-7-87 द्वारा यह सूचित किया है कि श्रीमती विमला देवी सहविकल्पित महिला पंच माह जून, 1986 से बिना कारण व बिना सूचना दिए पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रह रही है ;

क्योंकि इस कार्यालय के समसंख्यक कार्यालय आदेश दिनांक 18 अगस्त, 1988 द्वारा उपरोक्त सहविकल्पित महिला पंच को निलम्बनार्थ कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था जिसका उत्तर उन्होने अभी तक नहीं दिया जबकि 30-8-88 को उसने नोटिस प्राप्त कर लिया था;

क्योंकि उक्त सहविकल्पित महिला पंच पंचायत बैठकों से अनुपस्थित रहना पंचायत की कार्य कुशलता में बाधक है तथा उपरोक्त तथ्य की पुष्टि हेतु जांच का करवाया जाना आवश्यक है।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत जहां श्रीमती विमला देवी सहविकल्पित महिला पंच को उनके पद से तुरन्त निलम्बित करते हैं वहां साथ-साथ उप-सम्भागीय अधिकारी, रामपुर, जिला शिमला को जांच अधिकारी नियुक्त करने का भी सहर्ष आदेश देते हैं। वह अपनी विस्तृत जांच रिपोर्ट जिलाधीश, शिमला, के माध्यम से इस कार्यालय को प्रेषित करेंगे।

शिमला-171002, 19 दिसम्बर, 1988

संख्या पी0सी0एच-एच0ए0 (5) 6/87.—क्योंकि श्री दत्त राम, प्रधान, ग्राम पंचायत रियुर। तहसील व जिला मण्डी के खिलाफ ग्राम पंचायत रियुर के लेखा अंकेक्षण पत्र अवधि 26-10-85 से 31-3-86 तथा स्कूल भवन सूका रियूर तथा प्राथमिक पाठशाला चौकी चन्दरान के निर्माण के सम्बन्ध में अनियमितताएं तथा सभा निधि के दुरूपयोग/अपहरण के आरोप हैं ;

और क्योंकि इन आरोपों की वास्तविकता जानाने के लिए उप-मण्डलाधिकारी (ना0) मण्डी द्वारा जांच करवाने पर यह तथ्य सामन आया है कि प्रधान पर लगे सभी आरोप निराधार हैं सिवाए इसक कि उन द्वारा वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का ठीक पालन नहीं किया गया है ।

अतः राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1968 की धारा 54 के अन्तर्गत श्री राम, प्रधान, ग्राम पंचायत रियुर को भविष्य में वित्तीय नियमों में निर्धारित प्रक्रिया का ठीक प्रकार से पालन करने हेतु सचेत रहने का सहर्ष आदेश देते हैं ।

हस्ताक्षरित/-
अवर सचिव ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित ।